Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनूं में उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी (आर.ए.एस.) 2 लाख रुपये एवं कीमती डिनर–सैट रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **न्यायालय के डिक्री की पालना करवाने की एवज में रिश्वत के रूप में मांगे, 5 लाख रुपये या 20 बीघा जमीन**

जयपुर, *10 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये **बंशीधर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुंझुनूं** को परिवादी से **2 लाख रुपये और कीमती डिनर–सैट** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसकी जमीन के विवाद में न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में दी गई डिक्री की पालना करवाने की एवज में आरोपी बंशीधर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी द्वारा पहले **20 बीघा जमीन अपने नाम करवाने** की मांग की। परिवादी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर **5 लाख रुपये** रिश्वत के रूप में मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के अनुनय–विनय करने पर आरोपी **3 लाख रुपये** रिश्वत लेने पर सहमत हुआ है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के झुंझुनूं में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी बंशीधर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी को परिवादी से **2 लाख रुपये और कीमती डिनर–सैट** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी एस.डी.एम. द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।